न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्याः 153/2012 (जीसीएमएस 2012/00066)

1. सुखदेव मीना पुत्र श्री नारायण मीना, जाति मीना, निवासी ग्राम गोपालगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर जरिये मुख्तयार आम जगराम मीना पुत्र श्री फूलचन्द मीना, जाति मीना, निवासी ए–154, शिवशक्ति नगर, जगतपुरा रोड़, मालवीय नगर, जयपुर।

---अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, इन्दिरा सर्किल जयपुर (राज.)।

---रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 25.08.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय) जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2010 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी–अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय) जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दुरूस्ती रिकार्ड का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर कथन किया कि अपीलार्थी के हक में दिनांक 22.12.1988 को सार्वजनिक निलामी में साबिका खसरा नम्बर 140/2 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 149 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 119 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर में छुड़वाई थी जिसका विक्रय प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वारा जारी किया गया जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 26.06.1989 को अपीलान्ट के नाम स्वीकृत किया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि दौराने सेटलमेंट साबिका खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बरान 396 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 428 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 429 रकबा 1.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 431 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.24 हैक्टेयर ही बनाये गये जबकि साबिका खसरा नम्बरान का कुल रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा का मेट्रिक प्रणाली में कुल रकबा 2.58 हैक्टेयर होना चाहिये किन्तु नये नम्बरो से अपीलान्ट की खातेदारी में कुल 2.24 हैक्टेयर ही बनाये गये है इस प्रकार अपीलान्ट की खातेदारी भूमि का कुल

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रकबा 2.58 हैक्टेयर में से 0.34 हैक्टयर भूमि कम दर्ज की गयी, उक्त 0.34 हैक्टेयर भूमि हाल खसरा नम्बर 632 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 427 रकबा 0.18 हैक्टेयर में शामिल कर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में गलती से दर्ज कर दी गयी जबकि प्रार्थी खसरा नम्बर 432 रकबा 0.16 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 427 रकबा 0.18 हैक्टेयर भूमि पर काबिज काश्त है

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि सेटलमेंट कर्मचारियो व अधिकारियो ने अपनी अधिकारिता के बाहर जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि का रकबा कम दर्ज किया है जिसे दुरूस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुदृढ आधारों पर पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 432 रकबा 0.16 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 427 रकबा 0.16 हैक्टेयर वाके ग्राम गोनेर से अप्रार्थी संख्या 2 का नाम हटाया जाकर प्रार्थी के नाम अंकित किया जाकर अपीलान्ट के कमी रकबे की पूर्ति की जाकर राजस्व रिकार्ड पर इस आशय की दुरूस्ती की जावे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की अनदेखी कर मनमाना निर्णय अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.07.2010 पारित किया है जो विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज पेशकर निवेदन किया था कि दौराने सेटलमेंट अधिकारियों व कर्मचारियों ने प्रार्थी–अपीलार्थी का रकबा 0.34 हैक्टेयर कम दर्ज किया है जबकि कानूनन दौराने सेटलमेंट किसी भी खातेदार काश्तकार की खातेदारी भूमि कम या अधिक करने का अधिकार नहीं है बल्कि पूर्व प्रविष्टियों को ज्यो की त्यों ही रिपीट करना होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अहम कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.07.2010 पारित कर गम्भीर कानूनी भूल की है जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी–अपीलार्थी की कम भूमि उक्त 0.34 हैक्टेयर रकबा पर प्रार्थी अपीलान्ट का कब्जा नहीं होना मानकर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार तहसील सांगानेर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वयं ने प्रार्थी–अपीलान्ट को उक्त 0.34 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा काश्त माना है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट को नहीं मानकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.07.2010 पारित कर गम्भीर कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि सेटलमेंट के दौरान उसके कर्मचारी/अधिकारियों ने साजिशाना तौर पर क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि के रकबे में जानबूझकर अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की गजज से कुल रकबे में 0.34 हैक्टेयर की कमी की है जो कि उनके क्षैत्राधिकार से बाहर था।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेखित किया है कि प्रार्थी–अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी की भूमि का विक्रय कर दिया है। इसलिये अगर कुल रकबे में 0.34 हैक्टेयर की बढोतरी की जाती है, तो वह किस के खाते में जायेगी यह स्पष्ट नहीं है जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी–अपीलान्ट आज भी उक्त भूमि का खातेदार है, यह प्रस्तुत शुदा रिकार्ड से साबित था ऐसी सूरत में कमी रकबा पूरा होने की सूरत में प्रार्थी अपीलान्ट की खातेदारी में ही कानूनन जावेगी अधीनस्थ न्यायालय ने क्रेताओं की रजिस्ट्री पेश न करने के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र की वास्तविकता को अनदेखा कर गम्भीर कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानकर कि वर्तमान में 0.34 हैक्टेयर की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम है उसका नाम हटाकर प्रार्थी अपीलान्ट के नाम लगाने से राज्य सरकार को भारी हानि होगी गलत तथ्य निर्णय में अंकित किये है जब उक्त भूमि वास्तव में प्रार्थी–अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जे की भूमि है वो सेटलमेंट विभाग की गलती से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम लग गयी है उसी को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, तो अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थी–अपीलान्ट को हुए आर्थिक नुकसान का भी ध्यान रखना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मामले की तह में गये प्रार्थी को हुए आर्थिक नुकसान का आंकलन किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2010 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के कमी रकबे 0.34 हैक्टयर खसरा नम्बर 432 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 417 रकबा 0.34 हैक्टयर को अपीलान्ट के नाम खातेदारी में लगाये जाने बाबत दुरूस्ती के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वांछित दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये तथा वांछित पक्षकारान को पक्षकार भी नही बनाया गया है एवं वादग्रस्त आराजी वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा उक्त दुरूस्ती से राज्य सरकार को हानि होगी इसलिये उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा प्रकरण का परीक्षण के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.07.2010 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर

न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि सार्वजनिक निलामी अपीलान्ट के हक में छुटने के उपरान्त उक्त वादग्रस्त आराजी 10 बीघा 6 बिस्वा का विक्रय प्रमाण पत्र दिनांक 22.12.1988 को उपखण्ड अधिकारी जयपुर अपीलान्ट को जारी किया गया है जिसका नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 24.06.1989 को अपीलान्ट के नाम से तस्दीक भी हो चुका है किन्तु दौराने सेटलमेन्ट अपीलान्ट की आराजी का रकबा कम दर्ज किया गया है जिसे भू अभिलेख निरीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 25.08.2009 में माना है जबकि सेटलमेन्ट विभाग को किसी भी काश्तकार की आराजी को कम या अधिक करने का कानूनन अधिकार नही है उसे तो पूर्व की प्रविष्टियों को वापस ज्यो की त्यों ही दोहराना चाहिये था तथा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई इस प्रकार की त्रुटियों को दुरूस्त करने का क्षेत्राधिकार कानूनन अधीनस्थ न्यायालय को प्रदत्त ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय को उक्त दुरूस्ती किया जाना आवश्यक था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2010 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2010 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलान्ट की क्रयशुदा आराजी में कम किये गये रकबे की दुरूस्ती नियमानुसार कराने की कार्यवाही की जाकर प्रकरण का दो माह में विधिसम्मत निस्तरण करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर संभाग
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर